

पंजीकरण

किटा। में गान वाल भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटनम भारतीय मिलन/ 🚉 वे अपना पंजीकरण करवाएं।

चैसावनी का कारपोर्ट भारत सरकार की सम्प्रति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके बारक को यदि कोई सूचना पिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मोग भी जापित है मो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

क पासपोर्ट हाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट भारक वा उसके हुए। आधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी थी प्रकार का फेरबदल या निकृति नारे को जानी चाहिए।

दासपोर्ट गुम हो वाने, जोरी हो जाने अबवा नष्ट हो जाने पर उसकी सुचना भारत में मबसे निकटनम पासपोर्ट अधिकारी को अबवा पदि पासपोर्ट बारक विदेश में है तो निकटनम भारतीय मिलन/कन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल ही जानी चाहिए। विस्तृत पूछताए के बाद ही इंप्लीकेट पासपीट आरी फिया जाएगा ।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABBOAD ARE ADVISED TO REGISTES THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLISD WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE ONLY AFTER EXHAUSIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.